| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | |
|---|---|---|
| 10/2/2025 | पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 9 नियम 4 सीपीसी इस आशय का पेश किया कि मूल पत्रावली दिनांक 31.05.2022 तारीख पेशी नियत थी। उस दिन हमारे वकील साहब की पत्नि सरपंच है, इसलिये कार्यों में व्यस्त हो जाने के कारण वे न्यायालय में हाजिर नहीं हो पाये, जिस कारण पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी। वादीगणं द्वारा यह गलती जानबूझकर नहीं की है। अतः प्रार्थी वकील का बाजदायरी प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 9 नियम 4 सीपीसी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।<br><br>मैने बहस उभयपक्षीय सुनी। मैंने वकील उभयपक्षों की बहस का मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का बाजदायरी प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 09 नियम 04 सीपीसी न्यायहित में 500/– रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>चौथ का बरवाड़ा | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.02.19 13:59:54 IST
Reason: SelfAttested